only trouble is, sometimes we sympathize with the people and sometimes some sections sympathize with the workers. When we are more concerned with the welfare of the people, if every section of the House deplore this kind of attitude of the officials, certainly discipline can be enforced. I welcome this.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1978 (TO AMEND THE EIGHTH SCHEDULE—Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we have to take up further consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 1978 moved by Shri Jha. But there is a motion to be moved by Shri Harekrushna Mallick.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Sir, with your permission, under Rule 117, I beg to move:

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill, 1978 (to amend the Eighth Schedule) moved by Shri Shiva Chandra Jha, be postponed to a future date."

The question was proposed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, we are at the fag-end. I had intervened and Mr. Jha has to reply to the debate. That is the only portion of it which is left. But he is not present here. He has asked for extension. It will be limited only to his reply, if I understood it correctly, and it cannot be postponed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. This will not be limited. If anybody wants, he can also speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): Sir, I also accept his suggestion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What suggestion?

SHRI SITARAM KESRI: The suggestion that the discussion on this Bill be postponed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What the Minister is saying is...

SHRI SITARAM KESRI: The same thing. I am endorsing it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is saying...

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am only asking for a clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Others can also speak.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: If it is your ruling, then it is all right

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill, 1978 (to amend the Eighth Schedule) moved by Shri Shiva Chandra Jha be postponed to a future date."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the next Bill. Shri F. M. Khan. Not here. Shri Murasoli Maran. Not here. Shri Bhupesh Gupta. Not here. Shri S. K. Vaishampayen. Not here. Shri Shiva Chandra Jha. Not here. Shri Murasoli Maran. Not here. Shri Jha. Not here. Very sorry. So, all the Members have absented themselves. We now go to the Half-an-Hour discusion. (*Interruptions*) I am sorry that the Members are not here. What can we do?

(*Interruptions*)

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Will the Bill lapse?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The rules are there. (*Interruptions*) But I am sorry that all the Members are absent. They should have been present in the House.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): बहुत: दुखद की बात है। काहेको इतना खर्च हुआ?

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I would only like to know

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

from the Deputy Chairman whether the Bill will lapse or it will come up again. What is the position of the Bill?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Perhaps you know it, Mr. Dhabe. That is why the Members have kept themselves absent. They know that the Bill will not lapse. They will again be balloted. But it will not lapse. This really shows how much the hon. Members are interested in the Bills.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF REPLY TO STARRED QUESTION 241 GIVEN ON 6TH MARCH, 1981 REGARDING ROLE OF RPF IN DEALING WITH INCREASING INCIDENTS OF LOOTING IN TRAINS.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तरप्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस समय कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन समाचार पत्रों में कहीं न कहीं किसी हिस्से में चलती रेल गाड़ी में डकैती, लूटपाट और कत्ल की घटनाओं का समाचार न रहता हो । श्रीमन्, हमारे मित्र इस बात की खुशी मना सकते हैं कि सरकार का परफारमेंस बहुत अच्छा है और दो साल में जनता सरकार ने इस देश को जहन्नुम में भेज दिया था, लेकिन जो स्थिति इस समय देश की है और जो स्थिति इस समय रेल की है वह बहुत ही एलार्मिंग है और अब किसी को भी रेल में कदम रखने के पहले या रेलवे स्टेशन के पास जाने के पहले यह सोचना पड़ता है कि वह खैरियत से अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा सकेगा या नहीं । श्रीमन्, पहले भी रेल में चोरियां होती थीं और लोग यह समझते थे कि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे अपने सामान का तो सामान चोरी जा सकता है । अब तो रेल के यात्री को इस बात के लिये चिन्तित रहना पड़ता है कि वह जिन्दा अपने घर वापस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा । जो माहौल इस समय बनता जा रहा है उस में यही स्थिति है । श्रीमन्, यह मामला सदन में उठता रहा है और रेल मंत्री जी केवल यह कह कर अपने को संतुष्ट कर लेते हैं कि रेलों में जो जरायम होते हैं या जो कत्ल होते हैं वह कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वह ला ऐंड आर्डर की बात है इसलिये वह स्टेट सब्जेक्ट है । स्टेट गवर्नमेंट उस के लिये जिम्मेदार है और स्टेट गवर्नमेंट अगर इंतजाम नहीं कर पाती तो हम मजबूर हैं उस के लिये । लेकिन श्रीमन्, यह चीज व्यापक पैमाने पर बढ़ रही है और जितनी तेजी से बढ़ रही है और जितनी डकैतियां और कत्ल की घटनायें अब चलती ट्रेनों में हो रही हैं उन को देखते हुए रेल प्रशासन को और रेल मंत्री को इस के बारे में सोचना पड़ेगा । केवल यह कह देने से उन की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती कि ला एंड आर्डर का मामला है इसलिये यह स्टेट सब्जेक्ट है । यह इसलिये कि रेल में जो लोग सफर करते हैं वह पैसा देते हैं । पैसा दे कर सफर करते हैं और अब तो यह सफर काफी महंगा हो गया है । इस के बाद कम से कम अगर आप उन के माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो उन की जान की हिफाजत का इंतजाम तो आप को करना ही चाहिए । अभी कल डिप्टी रेल मिनिस्टर ने लोक सभा में जो आंकड़े दिये उन के अनुसार सितम्बर 1980 से ले कर जनवरी 1981 तक कुल 54 डकैतियां पड़ीं, 112 राबरीज हुई और 2977 चोरियां हुई । बड़े सौभाग्य की बात है कि पंडित जी भी आ गये । यह सेंटेंस मैं फिर दोहरा दूं कि पंडित जी अभी चन्द दिन पहले ही आपने कहा है कि रेलों में डकैतियां, चोरियां, रौबरीज होती हैं, ये तो स्टेट सब्जैक्ट है । हम स्टेट गवर्नमेन्ट से बात कर रहे है । मुझे यह कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारी से यह कह कर बरी हो जाना चाहते है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है । यह ठीक नहीं है । इस के लिए आपको भी कुछ करना होगा ।